बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

पत्रांक 13879 पटना, दिनांक 10/12/10

ग्रा.वि.8 (ई.)विविध-41/10

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
अध्यक्ष
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार, पटना ।

विषयः- **मनरेगा अन्तर्गत बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट-2005 के अन्तर्गत बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा पंचायत रोजगार सेवक के 1716, पंचायत तकनीकी सहायक-1353, कनीय अभियंता-337, सहायक अभियंता-32, कार्यपालक अभियंता-25 एवं कार्यक्रम पदाधिकारी-229 की नियुक्ति सूची का प्रकाशन क्रमशः पत्रांक-9711 दिनांक 21.08.10 एवं पत्रांक-10181 दिनांक 01.09.10 द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था। प्रकाशित सूची के आलोक में अधिकांश चयनित उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न जिलों में आचार संहित लागू होने के पूर्व योगदान दिया जा चुका है । किन्तु कतिपय चयनित उम्मीदवार जो राज्य से बाहर थे उनके द्वारा योगदान नहीं किया जा सका है ।

विदित हो कि आदर्श आचार सहिता समाप्त हो चूका है । मनरेगा योजनान्तर्गत नवनियुक्त कर्मी जिनका योगदान आदर्श अचार संहिता के कारण स्वीकृत नहीं किया गया हो तथा जो कर्मी योगदान हेतु इच्छुक हो का योगदान स्वीकृत करते हुए कार्य लेने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय । कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
9.12.2010
(सुधीर कुमार)
अध्यक्ष
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी